



छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9-20/2017/1-5
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 04/05/2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:-पं.दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी का लोगो (LOGO) के प्रकाशन के संबंध में।

—00—

25 सितम्बर, 2016 से पं.दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय पत्राचार/पत्रावली/अर्द्धशासकीय पत्र में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी का लोगो (LOGO) प्रकाशित किया जावे। इसी प्रकार शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी साहित्य/विज्ञापनों/विज्ञप्ति आदि में भी लोगो (LOGO) का मुद्रण किया जावे।

सुविधा की दृष्टि से पत्रावली/पत्र के दाईं ओर ऊपर भाग में मुद्रित किया जाना उचित होगा, जिससे लोगो स्पष्ट प्रदर्शित हो तथा लेखन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुलभ संदर्भ हेतु लोगो की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों का पालन शासन के अलावा शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा निगम/मण्डल आदि में भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमशः..2



छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9-20/2017/1-5
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 04/05/2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:-पं.दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी का लोगो (LOGO) के प्रकाशन के संबंध में।

—00—

25 सितम्बर, 2016 से पं.दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय पत्राचार/पत्रावली/अर्द्धशासकीय पत्र में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी का लोगो (LOGO) प्रकाशित किया जावे। इसी प्रकार शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी साहित्य/विज्ञापनों/विज्ञप्ति आदि में भी लोगो (LOGO) का मुद्रण किया जावे।

सुविधा की दृष्टि से पत्रावली/पत्र के दाईं ओर ऊपर भाग में मुद्रित किया जाना उचित होगा, जिससे लोगो स्पष्ट प्रदर्शित हो तथा लेखन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुलभ संदर्भ हेतु लोगो की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों का पालन शासन के अलावा शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा निगम/मण्डल आदि में भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमशः..2



पृ.क्रमांक एफ 9-20/2017/1-5
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 04/05/2015

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन(मुद्रण) विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 2. सचिव, छ0ग0शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 3. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर (छ.ग.) ।
 4. संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, इन्द्रावती परिसर, नया रायपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग